



2026:AHC-LKO:1689-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ
विशेष अपील संख्या - 4/2026

संतोष कुमार शुक्ला

.....अपीलकर्ता (गण)

बनाम

श्री डी. सत्येंद्र, मुख्य महाप्रबंधक बेंगलुरु एवं अन्य

.....प्रतिवादी (गण)

अपीलकर्ता (गण) के अधिवक्ता

:

महेंद्र प्रताप सिंह

प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता

:

गोपाल कुमार श्रीवास्तव

न्यायालय सं. - 1**माननीय न्यायमूर्ति राजन रॉय,****माननीय न्यायमूर्ति अवधेश कुमार चौधरी,**

1. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री महेंद्र प्रताप सिंह और विरोधी पक्षों के विद्वान अधिवक्ता श्री गोपाल कुमार श्रीवास्तव को सुना गया।
2. यह इलाहाबाद उच्च न्यायालय नियमवली, 1952 के अध्याय VIII नियम 5 के तहत एक विशेष अपील है, जो विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा अवमानना आवेदन (सिविल) संख्या 2015/2023 [संतोष कुमार शुक्ला बनाम श्री डी. सत्येंद्र, मुख्य महाप्रबंधक, केनरा बैंक और अन्य] में पारित दिनांक 11.12.2025 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध है।
3. पक्षों को सुनने और अपील का अवलोकन करने के बाद हमने पाया कि प्रतिवादी-बैंक द्वारा सेवा से बर्खास्तगी को चुनौती देने वाली अपीलकर्ता की रिट याचिका संख्या 3531 (एस/एस) 2000 [संतोष कुमार शुक्ला बनाम सिंडिकेट बैंक और अन्य] खारिज होने के बाद, अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



एक विशेष अपील संख्या 328/2014 दायर की गई थी, जिसे दिनांक 07.02.2023 के निर्णय और आदेश द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। उक्त निर्णय का मुख्य अंश नीचे दिया गया है:-

"(26) उपरोक्त चर्चाओं को देखते हुए यह विशेष अपील स्वीकार की जाती है। दिनांक 04.06.2014 का निर्णय और आदेश अपास्त किया जाता है और रिट याचिका सं० 3531/2000 स्वीकार की जाती है। दिनांक 30.09.1999 का बर्खास्तगी आदेश और अपीलीय आदेश दिनांक 20.03.2000 अभिखंडित किया जाता है।

(27) सभी आवश्यक परिणाम लागू होंगे। हालांकि, लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।"

4. चूंकि उक्त निर्णय का पालन नहीं किया गया, इसलिए अवमानना कार्यवाही, अवमानना आवेदन (सिविल) संख्या 2015/2023 प्रारंभ की गई। इस बीच, बैंक ने माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष विशेष अनुमति याचिका संख्या एस.एल.पी. (सिविल) संख्या 12286/2023 दायर की, जिसमें खंडपीठ के दिनांक 07.02.2023 के निर्णय को चुनौती दी गई थी, जिसमें दिनांक 04.07.2023 को एक अंतरिम आदेश पारित किया गया था, जिसमें खंडपीठ के निर्णय पर रोक लगा दी गई थी। जब यह तथ्य अवमानना न्यायाधीश के संज्ञान में लाया गया, तो अवमानना कार्यवाही दिनांक 21.03.2024 को निपटा दी गई, हालांकि, आवेदक को उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित एसएलपी के अंतिम परिणाम के बाद पुनर्विलोकन आवेदन दायर करने की स्वतंत्रता दी गई। यद्यपि 'पुनर्विलोकन आवेदन' शब्द का उल्लेख है, हमारा मानना है कि यदि अंततः बैंक की एस.एल.पी. खारिज कर दी जाती है तो आदेश को वापस लेने के लिए एक आवेदन भी स्वीकार्य होगा क्योंकि समीक्षा का दायरा बहुत अलग है। आदेश को वापस लेने पर विचार करना होगा और उसके बाद, यानी, आदेश को वापस लेने के बाद, अवमानना न्यायाधीश को यह विचार करना होगा कि अवमानना हुई है या नहीं, जब तक कि यह ऐसा मामला न हो जहां बिना किसी विवाद के रिट कोर्ट के आदेश का पालन किया गया हो। जो भी हो, अंततः, विशेष अनुमति याचिका संख्या 12286/2023 29.05.2025 को खारिज कर दी गई, हालांकि, इस अवलोकन के साथ कि विधि का प्रश्न खुला छोड़ दिया गया है और खंडपीठ द्वारा पारित आदेश को मिसाल के तौर पर नहीं माना जाएगा। जहां तक उन कार्यवाही के पक्षों का संबंध है जिनसे एस.एल.पी. उत्पन्न हुई थी, इसका परिणाम यह हुआ कि उसमें दिए गए दिनांक 07.02.2023 के निर्णय अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



का क्रियात्मक भाग उनके बीच बाध्यकारी था और इसके किसी भी गैर-अनुपालन के लिए, अवमानना कार्यवाही की जा सकती है। इन परिस्थितियों में, अपीलकर्ता ने दिनांक 21.03.2024 के आदेश को वापस लेने के लिए एक आवेदन दायर किया, क्योंकि उसके अनुसार रिट/अपील न्यायालय के आदेश का पालन नहीं किया गया था। इसे माननीय न्यायाधीश ने खारिज कर दिया, जिन्होंने दिनांक 21.03.2024 को अवमानना आवेदन का निपटारा किया था, इस आधार पर कि दिनांक 09.10.2025 के आदेश द्वारा पहले ही पालन किया जा चुका है। वास्तव में, वापस लेने का आवेदन उनके समक्ष केवल उस वापसी पर विचार करने के लिए रखा गया था, न कि किसी अन्य उद्देश्य के लिए।

5. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री महेंद्र प्रताप सिंह का तर्क है कि दिनांक 09.10.2025 का आदेश स्वयं दिनांक 07.02.2023 के निर्णय की अवमानना है, क्योंकि यह अपीलकर्ता को देय बकाया के मुकाबले कुछ ऋण राशि को समायोजित करता है, जबकि उक्त वाद-विषय पहले ही दिनांक 07.02.2023 के निर्णय से तय हो चुका था, एक ऐसा पहलू जिसे विद्वान एकल न्यायाधीश समझने में विफल रहे। दूसरा, विद्वान एकल न्यायाधीश, जिन्होंने पुनर्विचार आवेदन खारिज कर दिया, उन्हें केवल दिनांक 21.03.2024 के आदेश को पुनर्विचार करने पर विचार करना था, लेकिन उन्होंने पुनर्विचार आवेदन के दायरे से बाहर जाकर इस बात पर विचार किया कि क्या खंडपीठ के दिनांक 07.02.2023 के निर्णय का पालन किया गया है या नहीं, क्योंकि यह एक ऐसा पहलू था जिस पर नियमित अवमानना न्यायाधीश को विचार करना था, जिनके पास माननीय मुख्य न्यायाधीश द्वारा सौंपी गई कार्यसूची के अंतर्गत ऐसा करने का अधिकार क्षेत्र था, विशेष रूप से जब पालन पर विवाद था। इस संबंध में, वह 'माया दीक्षित और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य' 2011 (1) एएलजे 127 और 'दिनेश कुमार सिंह उर्फ सोनू बनाम उत्तर प्रदेश राज्य' 2017 (2) एएलजे 409 में प्रकाशित किए गए निर्णयों का हवाला देते हैं, यह तर्क देने के लिए कि विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश अधिकार क्षेत्र से बाहर है और विशेष अपील सुनवाई योग्य है।

6. आक्षेपित आदेश की जांच करने पर, वास्तव में, हम पाते हैं कि माननीय एकल न्यायाधीश, जिन्होंने शुरू में दिनांक 21.03.2024 को अवमानना कार्यवाही का निपटारा किया था, समीक्षा के लिए आवेदन दाखिल करने की स्वतंत्रता देने के बाद, उन्हें इस बात पर विचार करना था कि क्या माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद उक्त आदेश को

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

वापस लेने की आवश्यकता थी या नहीं और यदि आदेश वापस ले लिया जाता तो अन्य वाद-विषयों पर, जैसे कि अवमानना हुई थी या नहीं, उस न्यायाधीश द्वारा विचार किया जाता जिसे माननीय मुख्य न्यायाधीश द्वारा निर्धारित कार्यसूची के अनुसार अवमानना क्षेत्राधिकार सौंपा गया था, क्योंकि, जिस माननीय एकल न्यायाधीश ने आक्षेपित आदेश पारित किया था, उसके पास अन्यथा अवमानना मामलों पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र नहीं था। इस मामले में जबकि अपीलकर्ता गैर-अनुपालन का आरोप लगा रहा था, बैंक अनुपालन का दावा कर रहा था। इस वाद-विषय को नियमित अवमानना न्यायाधीश द्वारा देखा जाना चाहिए था क्योंकि यह विवादित था। इन परिस्थितियों में, जब एस.एल.पी. खारिज कर दी गई, तो दिनांक 21.03.2024 का आदेश वापस लेने योग्य था क्योंकि उक्त आदेश केवल एस.एल.पी. में स्थगन आदेश पारित होने के कारण पारित किया गया था। वास्तव में, हमारी राय है कि स्थगन आदेश के संचालन के दौरान, अवमानना कार्यवाही का निपटारा करने के बजाय उसे स्थगित कर दिया जाना चाहिए था। इसलिए, उपरोक्त परिस्थितियों में, आक्षेपित आदेश अपास्त किया जाता है। अवमानना आवेदन (सिविल) संख्या 2015/2023 में पारित दिनांक 21.03.2024 का आदेश वापस ले लिया गया है। परिणामस्वरूप, अवमानना आवेदन (सिविल) संख्या 2015/2023 बहाल किया जाता है, हालांकि, प्रतिवादी-बैंक के अधिकारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कि वह अवमानना न्यायाधीश के समक्ष यह दलील दे सकता है कि खंडपीठ के आदेश का पहले ही अनुपालन किया जा चुका है और इसलिए, कोई अवमानना नहीं हुई है और इस दलील पर नियमित खंडपीठ द्वारा विचार किया जाएगा जिसे अवमानना मामला सौंपा गया है। बैंक के पास यह खुला विकल्प है कि वह 'मिदनापुर पीपल्स' को-ऑप. बैंक लिमिटेड और अन्य बनाम चुन्नीलाल नंदा और अन्य' एआईआर (200) उच्चतम न्यायालय 2190 और विशेष अपील सं. 38/2022 'शिवम दास चंदानी और अन्य बनाम प्रभु एन सिंह, वाइस चेयरमैन, एल.डी.ए., लखनऊ और अन्य' में दिनांक 14.02.2022 को पारित निर्णय और आदेश और विशेष अपील दोषपूर्ण सं. 467/2021 'गंगा राम बनाम हरद्वारी लाल' में दिनांक 23.11.2021 को नियमित अवमानना न्यायाधीश के समक्ष पारित निर्णय एवं आदेश पर भरोसा करे। अपीलकर्ता का तर्क है कि ऋण की कुछ बकाया राशि के समायोजन पर खंडपीठ ने पहले ही दिनांक 07.02.2023 के निर्णय में विचार कर लिया था और पाया था कि इसका भुगतान कर दिया गया है और इसी को चुनौती देने वाली याचिका माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका खारिज करते समय स्वीकार नहीं की, इसलिए, 09.10.2025 का आदेश स्वयं दिनांक 07.02.2023 के निर्णय की अवमानना

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



है, यह भी एक दलील है जिसे अपीलकर्ता अवमानना न्यायाधीश के सामने उठा सकता है जिन्हें अवमानना के मामले सौंपे गए हैं। हमने इस वाद-विषय पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया है कि अवमानना सिद्ध हुई है या नहीं और यह एक ऐसा पहलू है जिस पर नियमित अवमानना न्यायाधीश को विचार करना है।

7. तदनुसार, उपरोक्त शर्तों पर विशेष अपील स्वीकार की जाती है।

(न्यायमूर्ति अवधेश कुमार चौधरी) (न्यायमूर्ति राजन राय)

9 जनवरी, 2026

शानू/-

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।